न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 178/2018–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

हेरमान टोप्पो – विक्रेता

रंजीत टोप्पो – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25.09.20	**आदेश**	

आवेदक हेरमान टोप्पो पिता श्री पतरिक टोप्पो ग्राम कालामाटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने रंजीत टोप्पो पिता मंगल टोप्पो ग्राम हुटार, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
कालामाटी	216	100	1170 1176	0.06¼ 0.02¾ **0.15**

अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 205 दिनांक 28.02.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार क्रेता–विक्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं एक ही थाना के निवासी है। सर्वे खतियान के अनुसार खेसरा नं0– 1176 रकबा 0.02 दर्ज है। विक्रेता द्वारा खेसरा सं0– 1176 से रकबा 0. 02¾ एकड़ बिक्री हेतु अनुमति का मांग किया है।

आवेदित प्लॉट में प्रर्याप्त भूमि नहीं होने के कारण अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा भूमि बिक्री हेतु अनुशंसा नहीं की गयी है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आलोक में वाद अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

25/09/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

25/09/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।